पत्रांक : 03/आ01–286/2026.....

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

विजय कुमार पाण्डेय,
निदेशक (प्रशासन)।

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
भागलपुर, बिहार।

पटना, दिनांक .....

विषय :– एच.आर.एम.एस. में वेतन मद में शिक्षा कर्मी द्वारा अनुमान्यता से अधिक राशि निकासी हेतु स्पष्टीकरण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके जिला भागलपुर में कुल 202 मामले उजागर हुए हैं जिसमें मेकर–चेकर–अप्रूवर (Maker-Checker-Approver) के मिली भगत से वेतन मद में कूटरचना कर वेतन में, मकान किराया भत्ता (HRA) मद में अत्यधिक राशि की निकासी की गई है एवं एरियर (Arrears) मद में भी अत्याधिक राशि की निकासी की गयी है, जो वित्त विभाग के परिपत्र 1998 का उल्लंघन के साथ–साथ Bihar Treasury Code, 2011 के नियम 155, 157 एवं 159 का भी उल्लंघन है।

2. आपके जिला में ऐसी अवैध निकासी का घटना स्पष्ट रुप से आपके प्रशासनिक नियंत्रण में विफलता एवं आपराधिक चूक (Criminal Omission) का द्योतक है।

3. यह कृत बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियम–3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

4. अतः कृपया कारण पृच्छा समर्पित करें कि आपके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित 2007) के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ क्यों नहीं की जाए।

ख) कृपया स्पष्टीकरण का जवाब पत्र पावती के सात दिनों के अंदर देना सुनिश्चित करें।

ग) स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार/सक्षम प्राधिकार द्वारा एकतरफा (Ex-parte) निर्णय उपलब्ध साक्ष्य एवं अभिलेख के अनुसार लिया जाएगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त (समेकित वसूली प्रतिवेदन की प्रति)।

विश्वासभाजन
ह0/–
(विजय कुमार पाण्डेय)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–03/आ०1–286/2026 ..38.. पटना, दिनांक– 05/11/2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.11.26

निदेशक (प्रशासन)